बाल अधिकार संरक्षण अभियान की साथी संस्थाओं की

बाल सुरक्षा मुद्दों पर

संभाग स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला

4-5 सितम्बर 2021

संभाग : जोधपुर

आयोजक : रिसोर्स इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स एवं यूनिसेफ, राजस्थान

कार्यशाला परिचय

बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान राजस्थान की जोधपुर संभाग की साथी संस्थाओं के लिए बाल सुरक्षा के मुद्दों पर संभाग स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 4–5 सितम्बर 2021 मंडोर, जोधपुर में आयोजित की गई। इसमें जोधपुर, पाली, फलौदी, सिरोही, बाडमेर की साथी संस्थाओं के 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन रिसोर्स इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स एवं यूनिसेफ,राजस्थान के द्वारा किया गया था।

कार्यशाला संदर्भ व्यक्ति – करूणा फिलीप, ममता जांगिड, यशोदा गुर्जर

दो दिवसीय कार्यशाला का एजेण्डा/ मुख्य विषय

पहला दिन	
विषय	**समय**
रजिस्ट्रेशन	10.30 से 11.00 बजे
परिचय	11.00 से 11.30
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में प्रारम्भिक जानकारी	11.30 से 1.30
भोजन	1.30 से 2.30
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर प्रस्तुति	2.30 से 3.30
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर सवाल–जवाब	3.30 से 4.00
चाय	4.00 से 4.15
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर सवाल–जवाब	4.15 से 5.30
दूसरा दिन	
प्रथम दिन का रीकेप	9.30 से 10.00
जेण्डर संवेदनशीलता • जेण्डर और लिंग के बीच का अंतर समझना • लिंग भूमिकाओं के आधार पर विशेषाधिकार और भेदभाव • जेण्डर एवं सामाजिक व्यवस्था विश्लेषण • परिवर्तन की प्रक्रिया में हमारी भूमिका	9..00 से 1.30
चाय	**11.00 से 11.30**
भोजन	**1.30 से 2.15**
फीड बैक तथा समापन सत्र	**2.15 से 3.30**

<u>प्रथम दिन : 4 सितम्बर 2021</u>

<u>पंजियन/स्वागत /परिचय</u> सत्र

सर्वप्रथम सभी प्रतिभागियों का पंजियन कर स्वागत एवं परिचय किया गया।

मैं तुमको विश्वास दूं ....चेतना गीत से कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

<u>प्रथम सत्र</u>

<u>किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में प्रारम्भिक जानकारी</u>

संदर्भ व्यक्ति ने सत्र की शुरूआत बच्चा किसे कहते अथवा बच्चें की परिभाषा क्या है की हैं। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने तरीके से बच्चे की परिभाषा को बताया जिसमें सार रूप से आया कि जिसने भी 18 साल आयु पूर्ण नहीं की है वे सभी बच्चों की परिभाषा में आते हैं। इसके बाद किशोर न्याय अधिनियम क्या है, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर समझा गया जो कि इस प्रकार है–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 क्या है?

हमारे देश का संविधान है उसमें राज्यो पर दायित्व दिए गए है मूलभूत अधिकार निधारित किए गए है जो बच्चों के अधिकारों को सुनिशचित करते है। 39 अनुच्छेद में राज्य पर बच्चों के कानूनों के लिए दायित्व है बच्चों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्वता है। विधि से संघर्षरत बच्चों, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू किया है। नया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 15 जनवरी, 2016 से प्रभावी है। इस नवीन कानून के माध्यम से पूर्व के किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त कर दिया गया है।

बाल मैत्री वातावरण एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विधि से संघर्षरत बच्चों के समुचित न्याय को सुनिश्चित करने, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा विभिन्न तरह की हिंसा/शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस कानून का उद्देश्य है।

कानून के आधारभूत सिद्धान्त : इस कानून के तहत् सभी बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किए गए है, जिनमें मुख्य रूप से बच्चे के अपराध की निर्दोषिता, गरिमा और योग्यता, सहभागिता, सर्वोत्तम हित, परिवार की जिम्मेदारी, सुरक्षा, सकारात्मक उपाय, गैर कलंकनीय भाषा का प्रयोग, भेदभाव न करना, गोपनीयता का अधिकार, संस्थागत देखभाल अन्तिम विकल्प, नये सिरे से शुरूआत एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में कार्यवाही एवं प्रक्रिया के दौरान ये सिद्धान्त सभी प्राधिकरण/ संस्थाओं एवं व्यक्तियों का मार्गदर्शन करेगें।

इस कानून को विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विशेष कानून का दर्जा दिया गया है।

इस कानून को कुल 112 धाराएं एवं 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है।

अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 में निर्धारित बाल अधिकारों तथा विधि से संघर्षरत किशोरों हेतु निर्धारित संयुक्त राष्ट्र किशोर न्याय न्यूनतम मानक नियम, 1985 (बीजिंग रूल्स), अपनी स्वतन्त्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम, 1990 एवं बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, 1993 के अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों को ध्यान में रखा गया है।

<u>किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर प्रस्तुति</u>

<u>कानून के मुख्य पहलू</u>

<u>विधि से संघर्षरत बालक :</u>

- ऐसे बालक–बालिकाएं जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तथा अपराध के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, को विधि से संघर्षरत बच्चा माना गया है।
- कानून में विधि से संघर्षरत बच्चों को उनके द्वारा किए गए छोटे अपराध अथवा गम्भीर अपराध अथवा जघन्य अपराध के अनुसार देखा जायेगा।

  कानून में छोटे अपराध (अपराध जिनमें 3 वर्ष तक की सजा है), गम्भीर अपराध (अपराध जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा है) एवं जघन्य अपराध (अपराध जिनमें न्यूनतम 7 वर्ष इससे अधिक की सजा है) को परिभाषित किया गया है।

- विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में कम से कम 1 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- किशोर न्याय बोर्ड 3 सदस्यों से बनी 1 न्यायपीठ होगी, जिसमें 1 प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। बोर्ड को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- छोटे अपराध में संलिप्त विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों का निस्तारण अधिकतम 4 से 6 माह में किया जायेगा अन्यथा वे प्रकरण स्वतः ही समाप्त माने जायेगें।
- बच्चे जिनकी आयु 16 से कम है तथा उनके द्वारा कोई जघन्य अपराध किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
- बच्चे जो कि 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा उनकी आयु 18 वर्ष के कम है, के द्वारा कोई जघन्य अपराध किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों के सहयोग से 3 माह के अन्दर आवश्यक प्रारम्भिक आंकलन किया जायेगा।
- किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक आंकलन पश्चात ऐसे प्रकरणों में स्वयं के स्तर पर यह निर्णय लिया जायेगा कि जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चे का प्रकरण बोर्ड द्वारा ही निस्तारित किया जावे कि इसे अग्रिम जांच विचारण के लिए संबंधित बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) को हस्तानान्तरित किया जाए।
- किन्हीं परिस्थितियों में बाल न्यायालय द्वारा जघन्य अपराध करने वाले 16 वर्ष से अधिक आयु के विधि से संघर्षरत बच्चे को वयस्क अपराधी की तरह भी देखा जा सकेगा।
- किशोर न्याय बोर्ड जिले में संचालित जेलों का निरीक्षण कर वहां पर विचाराधीन विधि से संघर्षरत बच्चों की पहचान कर उन्हें सम्प्रेक्षण गृह में हस्तान्तरित करने का कार्य भी करेगा।

- विधि से संघर्षरत बच्चे, जिनके प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है, के लिए बाल देखरेख संस्था के रूप में राजकीय अथवा गैर राजकीय संप्रेक्षण गृह तथा सुरक्षित अभिरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- विधि से संघर्षरत बच्चे के प्रकरण के निस्तारण के समय किशोर न्याय बोर्ड कानून में निर्धारित 7 तरह के आदेशों में से कोई भी 1 उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।
- विधि से संघर्षरत बच्चों को मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जायेगी।
- विधि से संघर्षरत बच्चे का कोई आपराधिक रिकार्ड संधारित नहीं किया जायेगा।

<u>देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (धारा 2 (14) में 12 श्रेणी के बच्चे</u>

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे

- वे बच्चे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है।
- जीवन निर्वाह नही हो रहा।
- भीख माँगता पाया जाता है।
- सड़क पर रहने वाले बच्चे।
- अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बच्चे।
- बाल श्रमिक।
- जिसके साथ वह बालक रहता है, ने उसे जान से मारने की धमकी दी है।
- जो शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग या बीमार है या असाध्य रोग से पीड़ित है तथा कोई देखभाल करने वाला नहीं है।
- माता–पिता हैं लेकिन नियंत्रण करने में असमर्थ हैं।
- माता–पिता ने छोड़ दिया है या समर्पित कर दिया हैं।
- लैंगिक हिंसा या अवैधानिक कार्यो के लिए दुरूपयोग, सताना या शोषण किया जा रहा है।
- जो किसी सशस्त्र उपद्रव या प्राकृतिक आपदा का शिकार है।

- विभिन्न प्रयाजनों के लिए बच्चों की तस्करी से प्रभावित बच्चे, गुमशुदा बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे।
- जिसे नशीले पदार्थो के उपयोग एवं तस्करी किये जाने की सम्भावना है।
- बाल विवाह होने की संभावना से प्रभावित बच्चे।

ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति गठित है।

- धारा 27 के तहत् गठित न्यायपीठ है।
- धारा 29 के तहत् देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों के निस्तारण के लिए अन्तिम एवं सक्षम प्राधिकारी है।
- लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् पीडित बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु विशेष दायित्व सौंपे गये है।
- बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों में बाल कल्याण समिति की भूमिका अहम है।

<u>बाल कल्याण समिति के कार्य भूमिका</u>

- समिति के समक्ष प्रस्तुत बच्चों के प्रकरणों में प्रसंज्ञान लेना
- बच्चों की सुरक्षा के संबंध में प्रभावित विषयों पर जांच करना
- परिवीक्षा अधिकारी या स्वयंसेवी संस्था या डीसीपीयू को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देना
- उपयुक्त व्यक्ति घोषित करना
- बच्चों को फोस्टर केयर में देना
- बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख कार्ययोजना के आधार पर संबंधितों को आवश्यक निर्देश देना
- स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन हेतु उपयुक्त संस्था का चयन करना
- गृहों का निरीक्षण करना तथा सुधार की सिफारिश करना
- माता–पिता द्वारा बच्चे के समर्पित विलेख के निष्पादन का प्रमाणीकरण करना
- घर से भागे हुए एवं परित्यक्त बच्चों के परिवार से पुनर्समेकन हेतु कार्य करना
- अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु विधिमुक्त करना

- बच्चों के मुद्दों पर स्वविवेक प्रसंज्ञान लेना
- गृहों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के प्रकरणों की जांच करना तथा आवश्यक आदेश देना
- पोक्सो में पीड़ित बच्चों के पुनर्वास की कार्यवाही करना
- पुलिस, श्रम विभाग एवं अन्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित करना
- बच्चों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना
- अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को समिति के समक्ष पेश किया जायेगा–
- किसी पुलिस अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
- जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिक
- श्रम निरीक्षक
- लोक सेवक
- चाईल्ड लाइन प्रतिनिधि या राज्य सरकार से अधिकृत स्वयंसेवी संस्था
- परीवीक्षा अधिकारी
- नर्स, डॉक्टर, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह के प्रबंधक
- कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या जागरूक नागरिक या बच्चा स्वयं

<u>बच्चों की सूचना देना अनिवार्य</u>

- कोई भी प्राधिकारी/संस्था/अस्पताल/नर्सिंग होम/व्यक्ति जिसे कोई भी परित्यक्त, गुमशुदा अथवा अनाथ बच्चा मिलता है, तो उसे अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर चाइल्ड लाईन (1098)/ पुलिस/बाल कल्याण समिति/पंजीकृत गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी प्राधिकारी/संस्था/अस्पताल/नर्सिंग होम/व्यक्ति द्वारा कोई परित्यक्त, गुमशुदा अथवा अनाथ बच्चे की सूचना संबंधित एजेंसियों को नहीं देना अपराध होगा तथा ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 6 माह की सजा अथवा 10,000 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

<u>बैठकें</u>

- राज्य सरकार के नवीन निर्देश प्राप्त होने तक बाल कल्याण समिति सप्ताह में 3 कार्य दिवस पर अपनी बैठकें आयोजित करेगी।
- मामलों के समयबद्ध निष्पादन एवं निर्धारित कार्यों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु समिति के सदस्य बैठक कम से कम 5 घण्टे उपस्थित रहेगें।
- समिति द्वारा प्रत्येक मामले के अंतिम निस्तारण में 3 सदस्यों का कोरम आवश्यक होगा।
- समिति अपनी बैठकें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समय में ही करेगी परन्तु आवश्यकता एवं मामले की गम्भीरता के अनुसार अवकाश के दिन भी बैठक कर सकेगी।
- समिति को अपनी बैठकें राजकीय बाल गृह में निर्धारित स्थान पर ही आयोजित करनी होगी।
- किसी भी स्थिति में बैठकें अध्यक्ष या समिति के सदस्य के घर नहीं की जाएगी।

बच्चों के मामलों की जाँच

- समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक बच्चे को सर्वप्रथम देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा घोषित करना।
- प्रकरण में जांच/पुनर्वास कार्यवाही लम्बित रहने तक उसे किसी पंजीकृत गृह में रखना। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के केवल विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियों में ही रखा जायेगा।
- समिति द्वारा केस वर्कर/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से जाँच कराएगी।
- जहां तक संभव हो बच्चों को उनके मूल परिवार में ही पुनर्वास किया जावे। तथा भाई–बहिनों को भी एक साथ ही रखने के प्रयास किए जावे।
- उक्त जाँच रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में ही समिति को प्रस्तुत की जाएगी। समिति द्वारा उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही बच्चों के पुनर्वास पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
- अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों को जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही उपरान्त दत्तक ग्रहण हेतु विधि मुक्त करना।

- समिति बच्चों से सम्बन्धित सभी मामलें निर्धारित समायावधि (4माह) में निपटायेगी।

गृहों का निरीक्षण

- समिति द्वारा प्रत्येक माह में जिले में संचालित किन्ही राजकीय एवं गैर राजकीय बाल गृहों का कम से कम 2 बार निरीक्षण किया जायेगा।
- निरीक्षण प्रतिवेदन मय अनुशंषाएं जिला बाल संरक्षण इकाई एंव राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को भी प्रेषित किया जाएगा।
- समिति नियमानुसार गृह में भेजे गये समस्त बच्चों की प्रत्येक त्रैमास पर समीक्षा कर उनके पुनर्वास हेतु कार्यवाही करेगी।

गैर पंजीकृत गृहों के सम्बन्ध में कार्यवाही

- अधिनियम की धारा 14 में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं में परिभाषित बच्चों हेतु संचालित सभी गृहों का अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- जिले में संचालित सभी अपंजीकृत गृहों की जाँच कर उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय–सीमा में पंजीकृत कराने हेतु निर्देशित करें।
- यदि गृह में बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना बच्चे आवासित है तो संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- यदि जिले में किसी भी अपंजीकृत गृह/छात्रावास द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को रखा जा रहा है, तो संस्था के संबंध में राज्य सरकार को दी जायेगी, ताकि राज्य सरकार आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सके।
- ऐसे बच्चों को समिति तत्काल किसी पंजीकृत गृह में स्थानान्तरित करेगी।

बच्चों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्यवाही

- अधिनियम एवं संगत राज्य नियमों में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु अनेक प्रावधान किये गये है, जिनमें बाल कल्याण समिति की भूमिका का भी विवेचन किया गया है।
- समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त संस्था द्वारा बच्चे की वापसी समुचित की जा चुकी है एवं इसके फॉलोअप सम्बन्धी कार्यवाही की जावे। अन्य राज्यों के

बच्चों के पुनर्वास हेतु समिति अन्य जिलों की बाल कल्याण समितियों से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करेगी।

<u>समन्वय</u>

- अधिनियम के प्रावधानों की मंशा के अनुरूप पालना एवं समिति के निर्धारित कार्यों के निर्वहन हेतु जिले में सम्बन्धित विभागों, जिला प्रशासन, गृह अधीक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बालश्रम उन्मूलन टास्क फोर्स, प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सियों, चाईल्ड लाईन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होना चाहिए।
- समिति के संचालन में आ रही समस्याओं एवं अपेक्षित सुधार हेतु जिले में गठित जिला बाल संरक्षण इकाई से सम्पर्क किया जा सकता है। प्रत्येक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समितियों के कार्यों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराते हुए अन्य विभागों/निकायों से समन्वय स्थापित करायेगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई समिति के बारे में जिले में व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य करायेगी।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर सवाल–जवाब

प्रतिभागियों ने अधिनियम से जुडें अपने सवाल, अनुभव एक दूसरे से बांटे तथा आपस में चर्चा कर सवालों के जवाब खोजे। एक दूसरे अनुभव बांटने से अलग अलग जिलों की स्थिति का पता चला।

दूसरा दिन : 5 सितम्बर 2021

सर्वप्रथम पहले दिन का रीकेप कर मुख्य बातों दोहराया गया। प्रतिभागियों ने अपनी अपनी सीख और महत्वपूर्ण लगी जानकारियों को साझा किया।

<u>सत्र – जेण्डर संवेदनशीलता – जेण्डर और लिंग के बीच का अंतर समझना</u>

प्रतिभागियों का छोटा परिचय किया गया जिसमें जाना गया कि कितने प्रतिभागी पहले से जेण्डर कार्यशालाओं का हिस्सा रहे हैं या नहीं। परिचय से पता चला कि ज्यादातर प्रतिभागियों के लिए जेण्डर पर समझ बनाने का यह पहला प्रशिक्षण था।

सत्र की शुरूआत एक गतिविधि चित्र पहेली – कठिन से कठिन की ओर से किया। पहेली के चार भागों को चार, तीन, दो और सात बराबर भागों में बांटना था। संभागियों ने आकर अपने सोच विचार से चित्र पहेली को हल करने का प्रयास किया। इस गतिविधि का उद्देश्य था कि दायरे से बाहर सोचना क्योंकि कठिन चीजें करते करते आसान काम भी हमें मुश्किल लगने लगते है क्योंकि हमारी सोच, नजरिया भी सीमित हो जाता है।

प्रतिभागी चित्र पहेली का हल खोजते हुए

गतिविधि : किसान का चित्र बनाओं

सभी प्रतिभागियों को कागज और कलरर्स दिए और किसान का चित्र बनाने को कहा गया। 25 में से 22 ने पुरूष किसान का चित्र बनाया केवल 3 ने ही महिला किसान का चित्र बनाया। चर्चा करने पर सभी ने कहा कि महिलाएं ही खेत ज्यादातर काम संभालती है फिर भी किसान का नाम सुनते ही आदमी की छवि ही दिमाग में बनती है। हमारी यही सोच महिला और पुरूष की लिंग भूमिका के आधार पर कायदे, नियम और भेदभावपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करती है। प्राकृतिक और सामाजिक लिंग के अंतर को चर्चा कर संमझा गया।

लिंग भूमिकाओं के आधार पर विशेषाधिकार और भेदभाव तथा जेण्डर एवं सामाजिक व्यवस्था विश्लेषण

जेंडर की व्यवस्था को समझने के लिए चर्चा और खेल गतिविधियाँ की गई जिसमे बाते आई -

- आदमी ताकतवर, औरतें कमजोर
- आदमी दिमाग से काम करते है, औरतें भावुक होती है, दिल से काम लेती है
- बरताव के कुछ रिवाज जैसे आदमी अपना कहना स्पष्ट रूप से कह सकते है ,औरतों में उतनी क्षमता नही होती
- अलग अलग भूमिकायें, आदमी मुखिया , पैसा कमाने वाला
- औरत घर के काम करेगी, सेवा करेगी
- लिग के आधार पर काम का बँटवारा, आदमी का काम उत्पादन – काम करना, काम के पैसे
- औरतों के काम सेवा करना आदि
- आदमी के काम को पैसा – महत्त्व है, औरतों के काम को तुच्छ नजर सें देखना / उसकी कोई मान्यता न होना, अनदेखे काम, पैसे नही
- आदमी कमाने वाला – पैसे ज्यादा, औरतों की आमदनी 'हाथ बटाने' के लिये ,समान काम, पैसे कम
- आदमी का क्षेत्र सार्वजनिक – औपचारिक सम्मान -नेता,
- औरतो का क्षेत्र घर जिसमे अनौपचारिक सम्मान – घर के काम से सम्बंधित
- संसाधन: पहूँच नही और नियंत्रण
- पैसा, जमीन, संपमि. टेक्नोलोजी, जानकारी, समय, जगह आदमी के पास
- औरतों के पास कुछ नही, उनका काम लोगों की भलाई के लिये
- अलग अलग सामाजिक संस्थाओं मे घर ,समाज पाठशाला (स्कूल) ,काम की जगह, राजनीति में इसे देखा जा सकता है .

उपरोक्त चर्चा को खेल और बातचीत के जरिये समझा गया इसके मूल में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है जो इंसानी जीवन को प्रभावित करती है तथा अलग अलग तरीको से महिलाओ और समाज पर गहरा असर करती है उनपर नियंत्रण, दमन करती है ,गैर बराबरी बना के रखती है .

इस व्यवस्था के तीन मुख्य पहलू है -

- इसमें पुरुषो को फायदा है
- उन्हें वंश चलाने वाला माना गया और वारिस माना गया है
- पुरुषो की सत्ता और नियंत्रण – काम, श्रम,सम्पति, आवाजाही/ मोबिलिटी, प्रजनन,योनिकता,लैगिकता

गैर बराबरी की इस व्यवस्था परिवर्तित करने में सब को जिम्मेदारी लेनी होगी .

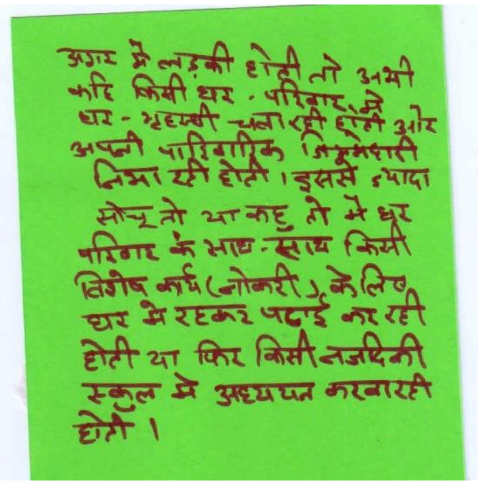
अगर मै लड़की होती तो अभी कहि किसी घर - परिवार मे घर - गृहस्थी चला रही होती और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रही होती। इससे ज्यादा सोचू तो या कहु तो मै घर परिवार के साथ - साथ किसी विशेष कार्य (नोकरी) के लिए घर मे रहकर पढ़ाई कर रही होती या फिर किसी नजदिकी स्कुल मे अध्यापन करवारही होती।

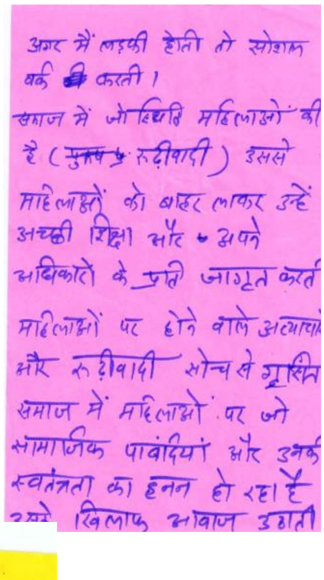
अगर मैं लड़की होती तो सोशल वर्क करती।
समाज में जो स्थिति महिलाओं की है (रूढ़ीवादी) इससे महिलाओं को बाहर लाकर उन्हें अच्छी शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागृत करती महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और रूढ़ीवादी सोच से ग्रसित समाज में महिलाओं पर जो सामाजिक पाबंदियां और उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाती

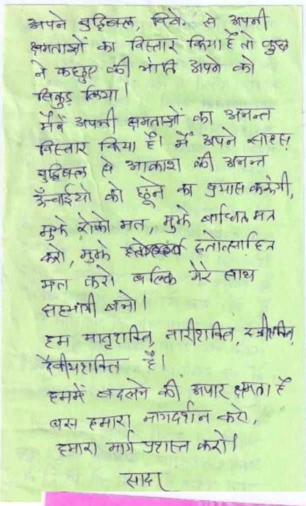
अपने बुद्धिबल, विवे. से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है तो कुछ ने कछुए की भांति अपने को सिकुड़ लिया।
मैंने अपनी क्षमताओं का अनन्त विस्तार किया है। मैं अपने साहस बुद्धिबल से आकाश की अनन्त ऊँचाईयो को छूने का प्रयास करूंगी, मुझे रोको मत, मुझे बाधित मत करो, मुझे हतोत्साहित मत करो बल्कि मेरे साथ सहभागी बनो।
हम मातृशक्ति, नारीशक्ति, स्त्रीशक्ति, दैवीयशक्ति हैं।
हममें बदलने की अपार क्षमता है बस हमारा मार्गदर्शन करे, हमारा मार्ग प्रशस्त करो।
सादर

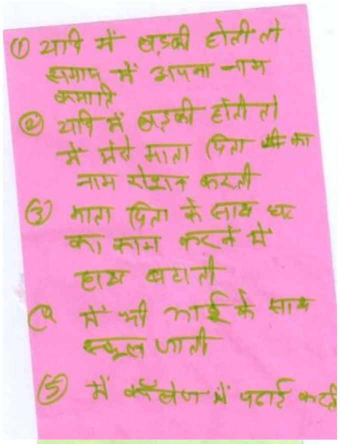
(1) यदि मैं लड़की होती तो समाज में अपना नाम कमाती
(2) यदि मैं लड़की होती तो मैं मेरे माता पिता का नाम रोशन करती
(3) माता पिता के साथ घर का काम करने में हाथ बटाती
(4) मैं भी भाई के साथ स्कूल जाती
(5) मैं कॉलेज में पढ़ाई करती

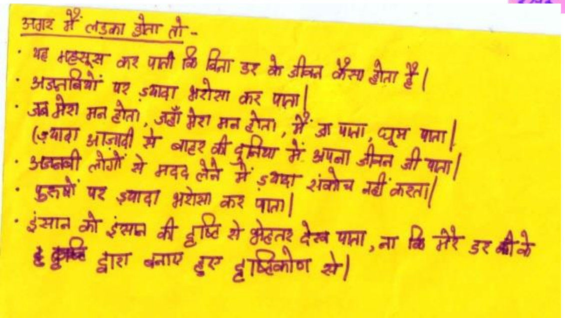
अगर मैं लड़का होता तो -
- यह महसूस कर पाती कि बिना डर के जीवन कैसा होता है।
- अजनबियों पर ज़्यादा भरोसा कर पाता।
- जब मेरा मन होता, जहाँ मेरा मन होता, मैं जा पाता, घूम पाता। (ज़्यादा आज़ादी से बाहर की दुनिया में अपना जीवन जी पाता।
- अजनबी लोगों से मदद लेने में ज़्यादा संकोच नहीं करता।
- पुरुषों पर ज़्यादा भरोसा कर पाता।
- इंसान को इंसान की दृष्टि से बेहतर देख पाता, ना कि मेरे डर के द्वारा बनाए हुए दृष्टिकोण से।

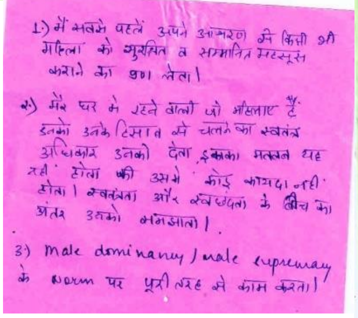
1.) मैं सबसे पहलें अपने आचरण से किसी भी महिला को सुरक्षित व सम्मानित महसूस कराने का प्रण लेता।
2.) मेरे घर मे रहने वाली जो महिलाए हैं इनको उनके हिसाब से चलने का स्वतंत्र अधिकार उनको देता, इसका मतलब यह नही होता की उसमे कोई फायदा नही होता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का अंतर उनको समझाता।
3.) male dominancy / male supremacy के norm पर पूरी तरह से काम करता।

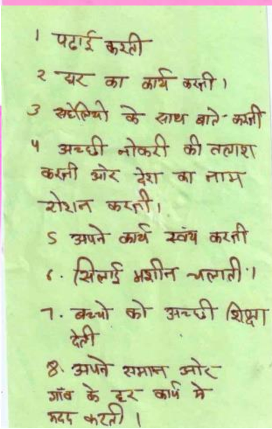
1 पढ़ाई करती
2 घर का कार्य करती।
3 सहेलियो के साथ बाते करती
4 अच्छी नोकरी की तलाश करती और देश का नाम रोशन करती।
5 अपने कार्य स्वंय करती
6. सिलाई मशीन चलाती।
7. बच्चो को अच्छी शिक्षा देती
8. अपने समाज और गाँव के हर कार्य मे मदद करती।

फीड बैक व समापन सत्र : प्रतिभागियों ने कहा कि कार्यशाला महत्वपूर्ण रही है। कोविड के बाद हुई ऑफलाइन कार्यशाला से बैठकर चर्चा करने का यह अच्छा अवसर बना है। जेण्डर कार्यशाला के लिए 3 दिन का समय रखा जाना चाहिये। आयोजक टीम द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर सभा का समापन किया गया।

फोटो क्लिक